

04-8-2021

पार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। पेरोगार
सरकार उपस्थित। - चूंकि मूल अपील आज
निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी
की अपील को खारिज कर देने जाने से तथा
अपील का अन्तिम रूप से निस्तारण हो जाने
के कारण पार्थी अपीलार्थी का यह स्वप्न
पार्थीना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर
पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः पार्थी
अपीलार्थी का पार्थीना पत्र खारिज किया जाता
है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली पासल
सुमार होकर नम्बर से कम है।

4.8.21
वक्त. विद्या प्रकाश
दिल्ली (पत्र)

